न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज सुनील .... बनाम .... ग्राम पंचायत रिंगारिया आदि मु.नं. 10/21
	उपस्थित। तहसीलदार बैजूपाडा से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 31.10.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)
31.10.25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस अपील हेतु समय चाहा। न्यायहित में अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 19.12.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
19.12.25	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13.01.26 को पेश हो।
13.01.26	पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24.02.26 को पेश हो।
24.02.26	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपील पर विद्वान अपीलान्ट अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। अपील पत्रावली मय प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला- दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहक हुक्म में
	सुनील बनाम ग्राम पंचायत टिगारिया मीणा मु.नं.- 10/21 किस्म - अपील	
	आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार मण्डावर तहरीर जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
10 / 2021	21.09.2021	24.02.2026

बउनवान

सुनील कुमार शर्मा पुत्र मोठया उर्फ मोठीलाल शर्मा, निवासी हॉडली तहसील मण्डावर, दौसा।

..**अपीलांट**

बनाम

सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम तहसील मण्डावर, दौसा।

..**रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित

1. अभिभाषक अपीलांट – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 166 दिनांक 21.05.2007 द्वारा ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाडा दौसा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता इस आषय की पेश की है कि निर्णय मातहत न्यायालय दिनांक 21.05.2007 ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम विधि विरूद्ध एवं रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात ग्राम सुमेल, पटवार हल्का ढिगारिया भीम, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में खतौनी संख्या 96 के खसरा सं. 437, 438, कुल किता 02, कुल रकबा 0.37 हैक्टे. एवं खतौनी सं. 128 के खसरा सं. 369, 430 / 596, 440, 443, 444, 462 / 597, कुल किता 06, कुल रकबा 0.60 हैक्टे. में स्थित है। विवादित आराजीयात अपील हिन्दू मुश्तर्का खानदान की अविभाजित भूमि रही है जो अपीलान्ट को अपीलान्ट के पिता मोठया उर्फ मोठीलाल को उनके पिता बिहारी लाल शर्मा से विरासत में प्राप्त हुयी है। अपीलान्ट के पिता मोठ्या उर्फ मोठीलाल का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2007 को हो चुका है तथा अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास होने पर अपीलान्ट का विवादित आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण खोलते समय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम ने अपीलान्ट का नाम सहवन से सुनील कुमार के स्थान पर खेम चन्द पुत्र मोठ्या उर्फ मोठीलाल के नाम दर्ज कर दिया और उक्त नामान्तकरण के आधार पर अपीलान्ट का नाम निर्णय दिनांक 21.05.2007 को सुनील कुमार के स्थान पर खेमचन्द दर्ज हो गया जबकि अपीलान्ट के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक, तथा अपीलान्ट के अन्य दस्तावेजात में अपीलान्ट का नाम सुनील कुमार दर्ज है जो सही है। इसलिये अपीलान्ट न्यायालय हाजा से अपने हक में इस अमर की दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है कि विवादित आराजीयात अपील हाजा, जो कि अपीलान्ट को विरासत में प्राप्त हुयी है, में सहवन से निर्णय जेरे अपील दिनांक 21.05.2007 में दर्ज किया गया नाम खेमचन्द को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम सुनील कुमार पुत्र मोठया उर्फ मोठीलाल दर्ज फरमाया जावे जो सही है, को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। इस ओर ग्राम पंचायत ढिगारिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

भीम में ध्यान न देकर भारी कानूनी गलती की है। इसलिये निर्णय जेरे अपील मातहत ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम दिनांक 21.05.2007 निरस्त किये जाने योग्य है। स्व. मोठया उर्फ मोठीलाल के खेमचन्द नाम का कोई पुत्र नहीं है। अपीलान्ट का नाम सुनील कुमार के स्थान पर खेमचन्द दर्ज कर दिया जिसको नामान्तकरण मे दुरुस्त कर सुनील कुमार दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान दिये बिना नामान्तकरण जेरे अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत नाम की पूर्व में कोई जानकारी नही रही। अपीलान्ट को अपने नाम गलत होने की जानकारी सर्वप्रथम अपनी भूमि की बाबत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी से जमाबंदी रिकॉर्ड आदि की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 02.07.2020 को हुयी है। इससे पूर्व अपीलान्ट को कोई जानकारी नही रही है। जानकारी होते ही बिना किसी प्रकार की देरी किये अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय नामान्तकरण सं. 166 ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम दिनांक 21.05.2007 अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का सही नाम सुनील कुमार पुत्र मोठया उर्फ मौठीलाल दर्ज करने के आदेश फरमाया जावें। अन्य दादरसी जो अपीलान्ट के हक में और अता फरमायी जावें ।

2. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा बावजूद तामील के जवाब अपील पेश नहीं किया। अतः रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपील में वर्णित कथनों के सम्बन्ध में, तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 08.09.2025 के अनुसार, ग्राम सुमेल के आराजी खसरा सं. 437, 438, 369, 430, 440, 444, 462, 597, कुल किता 06, कुल रकबा 0.60 हैक्टे. वादी व अन्य सहखातेदारों के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सहखातेदार भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजीयात ग्राम सुमेल में विरासत नामांतकरण सं. 166 मोठया पुत्र बिहारीलाल की वारिसान खेमचन्द, ताराचन्द पिश्रान मोठया, शीला पत्नी मोठया के नाम ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम के द्वारा दिनांक 21.05.2007 को स्वीकृत हुआ। उक्त नामांतकरण मुताबिक सजरे व ग्राम पंचायत अनुसार सही होना प्रतीत होता है। अपीलांट सुनील कुमार पुत्र मोठया को ग्रामीण बोलचाल में खेमचन्द पि. मोठया के नाम से ही जाना जाता है जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड में सुनील कुमार पुत्र मोठीलाल दर्ज है।

3. अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. अपील पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा – तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 166 आदेश दिनांक 21.05.2007 का अवलोकन किया गया।

5. ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 166 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के द्वारा ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम द्वारा मोठया के फौत होने पर उसके वारिसान खेमचन्द, ताराचन्द, शीलादेवी के नामों की प्रविष्ठी दर्ज की गयी। तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सुमेल के आराजी खसरा सं. 437, 438, 369, 430, 440, 444, 462, 597 भूमि अपीलांट व सहखातेदारों के मध्य राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है। अपील पत्रावली के साथ प्रस्तुत आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मार्कशीट, मूल निवास में सुनील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

कुमार पुत्र मोठीलाल दर्ज है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 166 आदेश दिनांक 21.05.2007 में मोठया की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 166 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी खेमचन्द पुत्र मोठया की हद तक अपास्त किया जाना उचित है।

आदेश

6. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 166 आदेश दिनांक 21.05.2007 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी खेमचन्द पि. मोठया की हद तक निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार बैजूपाडा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बैजूपाडा उक्त नामान्तरकरण सं. 166 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी खेमचन्द पि. मोठया के सम्बन्ध में जांच कर निर्णय पारित करे। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकार
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
सत्यमेव जयते